कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/नियुक्ति–प्राध्यापक कोच–हेण्डबॉल/पीएससी–2012–13 दिनांक–20.09.2018 के द्वारा इनका पदस्थापन रा. नूतन उमावि. बांसवाडा हैण्डबाल कोच के पद पर किया है। याचिकार्थी ने याचिका में अंग्रेजी विषयों में निम्न वरियताधारियों के पदस्थापन के संबंध में वरिष्ठता, वेतनवृद्वि व अन्य नोशनल लाभ दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 16489/2019 भूपेन्द्र सिंह सोढा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2019 में याचिकार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिये गए तथ्यों का विश्लेषण याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य से कवर्ड करते हुए आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं तथा यह भी निर्देशित किया है यदि Respondent no. 2 वरिष्ठता में याचिकार्थी का निर्धारण निम्न वरियताधारियों से ऊपर रखते हैं तो याचिकार्थी समस्त वरिष्ठता के लाभ का हकदार होगा परन्तु दिये जाने वाले लाभ नोशनल होगा।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में व्याख्याता रसायन में चयनित व्याख्याताओं के समान नोशनल परिलाभ वरिष्ठता एवं समस्त प्रकार के सेवा परिलाभ प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिका द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से विचार एवं मनन किया गया याचिकार्थी वर्तमान में कोच हेण्डबॉल के पद पर कार्यरत है। अतः व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में व्याख्याता रसायन में चयनित अभ्यर्थियों से तुलना कर वरिष्ठता, वेतनवृद्वि एवं नोशनल परिलाभ की मांग तर्कसंगत नहीं होने के कारण याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उक्त प्रकरण में याचिकार्थी राजेन्द्र सिंह तथा राजश्री राठौड का प्रकरण समान होने के आधार पर उपर्युक्त समान यथास्थिति के आधार पर ही खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/भूपेन्द्र सिंह/या.स 16489/19/अव.462/2020 दिनांकः– 15-02-2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
05. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)